

सं0सं0-6/N-13-97/2018... 1096(6)  
बिहार सरकार 22/10/18  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,  
रवीन्द्र नाथ उपाध्याय,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षक, मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल।  
सभी सिविल सर्जन।  
अपर निदेशक, यक्षमा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुआँ, पटना।  
प्राचार्य, राजकीय तिब्बती कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।  
अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना।  
निदेशक, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना।  
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना।  
प्राचार्य, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, बांकीपुर, पटना।  
निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना।  
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना।  
अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना।  
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकडबाग, पटना।  
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।  
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना।  
अधीक्षक, एमोजेओको अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।  
अधीक्षक, यक्षमा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर।

पटना, दिनांक: / / 2018

विषय: पेंशन एवं सेवांत लाभों के लम्बित रहने (ससमय भुगतान नहीं होने) के कारणों से वित्त विभाग को अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-697/वि०, दिनांक-21.08.2018 की प्रति सलग्न करते हुए अनुरोध हैं कि ग्रेड 'ए' नर्स, ए०एन०एम० आदि नर्सिंग कर्मियों के पेंशन, सेवांत लाभों के लंबित मामलों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वास्तम्भाजन

22/10/18

(रवीन्द्र नाथ उपाध्याय)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक:- 1096(6)

दिनांक:- 22/10/18

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1096  
22/10/18

सरकार के अवर सचिव।



पंच संख्या-वि०(२७)प०को० २६/२०१८

697

वि०,

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

पटना दिनांक- ३१-८-१८

सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव,  
वित्त विभाग।

प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:-

पेंशन एवं सेवांत लाभों के लम्बित रहने (ससमय भुगतान नहीं होने) के कारणों से वित्त विभाग को अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का परिवाद संख्या-२/लोक(पं०रा०)

11/2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन परिवाद के संबंध में कहना है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम-188 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवक को पेंशन, देय होने की तारीख से ही, पेंशन मिलने लगे। उक्त प्रावधान निम्नवत् है-

"All authorities dealing with applications for pension under these rules should bear in mind that delay in the payment of pensions involves pecuniary hardship. It is essential to ensure therefore, that a Government servant begins to receive his pension on the date on which it becomes due."

2. सेवानिवृत्त कर्मियों को ससमय पेंशन एवं सेवांत लाभ मिले, इसके लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर कई परिपत्र भी निर्गत किये गये हैं। परन्तु देखा यह जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मी को ससमय पेंशन एवं सेवांत लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण माननीय उच्च०न्यायालय, माननीय लोकायुक्त कार्यालय, आदि अनेक फोरम में बाद दायर किये जाते हैं एवं सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्य सचिव, बिहार का निदेश है कि वित्त विभाग पेंशन एवं सेवांत लाभ के लम्बित रहने के कारणों का अध्ययन करे।

3. सामान्यतः पेंशन एवं सेवांत लाभ के अधिकांश लम्बित मामलों का संबंध क्षेत्रीय कार्यालयों से होता है। अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पेंशन स्वीकृति प्राधिकार की बैठक बुलाकर पेंशन एवं सेवांत लाभ के लम्बित रहने के कारणों को ज्ञात किया जाय एवं इन कारणों से एक माह के अन्दर वित्त विभाग को अवगत कराया जाय, ताकि इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

21/8/18  
(सुजाता चतुर्वेदी),

प्रधान सचिव।

(M.B.)  
31-8-18